अनुबंध

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश

I प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां

i. कृषि
ii. माइक्रो और लघु उद्यम
iii. शिक्षा ऋण
iv. आवास ऋण
v. अन्य

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र गतिविधियां पैरा III में निर्दिष्ट की गई हैं।

II प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य/ उप-लक्ष्य

i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) (कुल ऋण और अग्रिम माइनस (-) रिज़र्व बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तिय संख्याओं के पास पुनः भुनाए गए बिल प्लस (+) 31 अगस्त 2007 की स्थिति के अनुसार एचटीएम वर्ग में गैर एसएलआर बांडों में किया गया निवेश) या तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र (ओबीई) के सममूल्य ऋणराशि, इनमें से जो भी उच्चतर हो, से सहबद्ध होगी। तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के बराबर ऋण राशि की गणना करने के प्रयोजन के लिए बैंक वर्तमान एक्सपोजर प्रणाली का उपयोग करें। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों / उप-लक्ष्यों के प्रयोजन के लिए अंतर-बैंक एक्सपोज़र, तुलन पत्र से इतर एक्सपोज़र सहित को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

ii) शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार के लक्ष्य / उप-लक्ष्य नीचे दिए गए हैं। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उधार संबंधी विनिर्देश वेतन अर्जक बैंकों के लिए लागू नहीं है।

कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र	समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत (एएनबीसी - उपर्युक्त उप अनुच्छेद (i) में यथापरिभाषित) अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र के सममूल्य ऋणराशि, जो भी उच्चतर हो।
कुल कृषि	कोई लक्ष्य नहीं है।
सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)	(i) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र अग्रिमों को एएनबीसी का 40 प्रतिशत अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के सममूल्य ऋणराशि, जो भी उच्चतर हो, को समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य के अंतर्गत उपलब्धि की गणना के लिए गिना जाएगा। (ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत रु.10 लाख तक के प्लांट और मशीनरी में निवेश वाले सूक्ष्म (विनिर्माण) उद्यम में और रु.4 लाख तक उपकरण में निवेश वाले सूक्ष्म (सेवा) उद्यम में जाना चाहिए। (iii) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 20 प्रतिशत रु.10 लाख से ऊपर और रु.25 लाख तक के प्लांट और मशीनरी में निवेश वाले सूक्ष्म (विनिर्माण) उद्यम में और रु.4 लाख के ऊपर और रु.10 लाख तक के उपकरण में निवेश वाले सूक्ष्म (सेवा) उद्यम में जाना चाहिए। माइक्रो और लघु उद्यम खंड(एमएसई) के भीतर माइक्रो उद्यमों के लिए लक्ष्यों की गणना पिछले 31 मार्च को विद्यमान एमएसई को दिए गए बकाया ऋण के संदर्भ में की जाएगी।
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	एएनबीसी का अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र की सममूल्य ऋणराशि, जो भी उच्चतर हो 10 प्रतिशत।

नोट करें:

(i) बैंक एनबीसी में से प्रावधानों, उपचित ब्याज आदि जैसी राशि को न घटाएं या न ही निवल निर्धारण करें।

(ii) बैंकों को सूचित किया जाता है कि 24 अगस्त 2013 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से बैंकों द्वारा 26 जुलाई 2013 की मूल तारीख के बाद जुटाई गई 3 वर्ष तथा उससे अधिक परिपक्वता अवधि वाली वृद्धिशील एफसीएनआर(बी) जमाराशियों तथा एनआरई जमाराशियों को सीआरआर तथा एसएलआर बनाए रखने से छूट होगी। वृद्धिशील एफसीएनआर(बी)/एनआरई जमाराशियों पर भारत में प्रदत्त अग्रिमों को भी, जो उक्त के अनुसार सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं से छूट के लिए पात्र हैं, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र से संबंधित ऋण के लक्ष्यों की गणना के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण में शामिल नहीं किया जाएगा।

III प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली श्रेणियों का वर्णन

1. कृषि

1.1 प्रत्यक्ष कृषि

अलग-अलग किसानों (स्वयं सहायता समूहों या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात् अलग-अलग किसानों के समूहों सहित बशर्ते बैंक ऐसे वित्त का अलग से ब्योरा रखते हों) को कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों (डेरी उद्योग, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन और रेशम उद्योग(ककून स्तर तक) (आदि) के लिए ऋण।

निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अलग-अलग किसानों की कृषक उत्पादक कंपनियों सहित कारपोरेटों, साझेदारी फर्मों तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों जैसे डेरी उद्योग, मत्स्य पालन,सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन आदि) में प्रत्यक्ष रूप से लगे किसानों की सहकारी समितियों की कुल सीमा प्रति उधारकर्ता ₹2 करोड़ रुपए तक ऋण:

(i) किसानों को फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण अर्थात् फसल ऋण । *इसमें पारंपरिक / गैर-पारंपरिक बागान एवं उद्यान तथा संबद्ध गतिविधियां शामिल होंगी ।*

(ii) कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (अर्थात कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में सिंचाई तथा किए जानेवाले अन्य विकासात्मक कार्यकलाप एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण)

(iii) किसानों को फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किए गए अपने कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), छंटाई तथा परिवहन के लिए ऋण।

(iv) किसानों को 12 माह की अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी / दृष्टिबंधक रखकर ₹50 लाख तक के अग्रिम, चाहे किसानों को फसल उगाने के लिए फसल ऋण दिए गए हों या नहीं।

(v) कृषि प्रयोजन हेतु जमीन खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण।

(vi) गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसानों को उचित ऋणाधार के साथ दिये गए ऋण।

(vii) अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए किसानों को निर्यात ऋण।

1.2 अप्रत्यक्ष कृषि

1.2.1.निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अलग-अलग किसानों की कृषक उत्पादक कंपनियों सहित कारपोरेटों, साझेदारी फर्मों तथा कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों जैसे डेरी उद्योग, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन, रेशिम उद्योग (ककून स्तर तक)

यदि प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत पात्र अग्रिम राशि प्रति उधारकर्ता के लिए कुल ऋण सीमा ₹2 करोड़ से अधिक है तो पूरे ऋण को कृषि को दिए गए अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में माना जाए।

(i) किसानों को फसल उगाने अर्थात् फसल के लिए अल्पावधि ऋण। *पारंपरिक / गैर-पारंपरिक बागान एवं उद्यान तथा संबद्ध गतिविधियां शामिल होंगी।*

(ii) कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापोंके लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण (अर्थात कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में सिंचाई तथा किए जानेवाले अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के लिए ऋण एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण)

(iii) किसानों को फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किए गए अपने कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), छंटाई तथा परिवहन के लिए ऋण।

(iv) किसानों को 12 माह की अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी दृष्टिबंधक रखकर ₹50 लाख तक के अग्रिम, चाहे किसानों को फसल उगाने के लिए फसल ऋण दिए गए हों या नहीं।

(v) कॉरपोरेटों, भागीदारी फर्म तथा संस्थाओं को अपने स्वंय के कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए निर्यात क्रेडिट।

(vi) छोटे एवं सीमांत कृषकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत विशेष रूप से स्थापित की गई उत्पादक कंपनियों के लिए कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु ₹5 करोड़ तक के ऋण।

1.2.2 अन्य अप्रत्यक्ष कृषि ऋण

(i) उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बीजों पशु खाद्य, मुर्गी आहार निविष्टियों आदि की खरीद और वितरण हेतु व्यापारी/ विक्रेता को प्रति उधारकर्ता ₹5 करोड़ तक के ऋण।

(ii) एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस की स्थापना के लिए वित्त।

(iii) कस्टम सेवा इकाइयों को अग्रिम, जिनका प्रबंध व्यक्तियों, संस्थाओं या ऐसे संगठनों द्वारा किया जाता है, जिनके पास ट्रैक्टरों, बुलडोज़रों, कुआं खोदने के उपस्करों, थ्रेशर, कंबाइन्स आदि का दस्ता है और वे किसानों का काम ठेके पर करते हों।

(iv) भंडारण सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाने कृषि उत्पाद / उत्पादनों के भंडारण के लिए बनाई गई कोल्ड स्टोरेज इकाइयों सहित, (भंडारघर, बाज़ार प्रांगण, गोदाम और साइलो) चाहे वे कहीं भी स्थित हों, के लिए ऋण।
यदि स्टोरेज इकाई को लघु उद्योग इकाई / व्यष्टि या लघु उद्यम के रुप में पंजीकृत किया गया हो, तो ऐसी इकाइयों को दिए गए ऋण को लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

2. माइक्रो (व्यष्टि) और लघु उद्यम

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 29 सितम्बर 2006 के एस.ओ. 1642(ई) द्वारा अधिसूचित प्रकार से विनिर्माण सेवा उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों में निवेश की सीमाएं निम्नानुसार हैं:

विनिर्माण क्षेत्र	
उद्यम	**संयंत्र और मशीनरी में निवेश**
माइक्रो (व्यष्टि) उद्यम	₹25 लाख रुपए से अधिक न हो
लघु उद्यम	₹25 लाख से अधिक परंतु ₹5 करोड़ से अधिक न हो
सेवा क्षेत्र	
उद्यम	**उपकरणों में निवेश**
माइक्रो (व्यष्टि) उद्यम	₹10 लाख से अधिक न हो
लघु उद्यम	₹10 लाख से अधिक परंतु ₹2 करोड़ से अधिक न हो

विनिर्माण और सेवा दोनों के माइक्रो और लघु उद्यमों को दिए जानेवाले बैंक ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे ।

2.1 प्रत्यक्ष वित्त

2.1.1 विनिर्माण उद्यम

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे माइक्रो और लघु उ़द्यमों जो विनिर्माण या वस्तुओं के उत्पादन में तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित गतिविधियों में शामिल हैं, को दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के

अंतर्गत ऋण के रूप में वर्गीकरण किए जाने के लिए पात्र होंगे। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वर्गीकृत, मालों के विनिर्माण करने और तैयार करने में शामिल, एमएसएमई उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण प्रत्यक्ष वित्त के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

2.1.1.1 खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण के लिए ऋण

खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण के लिए ऋणों को माइक्रो और लघु उद्यमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा बशर्ते यूनिट एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में किए गए प्रावधान के अनुसार माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश मानदंड पूरा करते हों ।

2.1.2 सेवा उद्यम

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपकरणों में निवेश के अनुसार परिभाषित और सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रति यूनिट ₹5 करोड़ तक का बैंक ऋण।

2.1.3 एमएसई यूनिटों (विनिर्माण और सेवा दोंनों) को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात ऋण।

2.1.4. खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र (केवीआई)

परिचालनों के आकार, अवस्थिति तथा संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश की राशि पर ध्यान दिए बगैर खादी-ग्राम उद्योग क्षेत्र की ईकाइयों को प्रदान सभी अग्रिम। ऐसे अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माइक्रो एवं लघु उद्यम क्षेत्र के माइक्रो उद्यम के लिए नियत उप-लक्ष्य (60 प्रतिशत) के अधीन विचार करने के लिए पात्र होंगे।

2.2 अप्रत्यक्ष वित्त

i) कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति और उनके उत्पादन के विपणन के विकेंद्रीकृत सेक्टर को सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों को ऋण।

ii) विकेंद्रित सेक्टर अर्थात् कारीगरों तथा ग्राम और कुटीर उद्योग के उत्पादकों की सहकारी समितियों को ऋण।

3. शिक्षण

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों को भारत में अध्ययन के लिए ₹ 10 लाख रुपए तक का ऋण और विदेश में अध्ययन के लिए ₹ 20 लाख तक का ऋण। संस्थाओं को प्रदान किए गए ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हेतु अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. व्यष्टि ऋण: प्रति उधारकर्ता के लिए ₹ 50,000 तक की राशि या अग्रिमों पर अधिकतम गैर-जमानती स्वीकार्य सीमा जो भी कम है, के ऋण और इसी सीमा के अंतर्गत अन्य वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराना शामिल होगा।

5. आवास

i. बैंको द्वारा अपने कर्मचारियों कों दिए गए ऋण को छोडकर, व्यक्तियोंकों प्रति परिवार एक निवासी यूनिट की खरीद/ निर्माण करने के लिए, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, दिए गए ₹ 25 लाख तक के ऋण।

ii. परिवारों के क्षतिग्रस्त निवासी यूनिटों की मरम्मत के लिए ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में ₹ 2 लाख तक और शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों में ₹ 5 लाख तक का ऋण।

iii. किसी सरकारी एजेंसी को आवास इकाई के निर्माण अथवा गंदी बस्तियों को हटाने और गंदी बस्तियों में रहनेवालों के पुनर्वास के लिए प्रदान वित्तीय सहायता,जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 5 लाख प्रति निवास इकाई से अधिक न हो।

iv. आवास इकाई के निर्माण / पुनर्निर्माण अथवा गंदी बस्तियों को हटाने और गंदी बस्तियों में रहनेवालों के पुनर्वास के लिए पुनर्वित्त प्रदान किए जाने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अनुमोदित किसी गैर-सरकारी एजेंसी को प्रदान वित्तीय सहायता, जिसके ऋण घटक की अधिकतम सीमा ₹ 10 लाख प्रति आवास इकाई होगी।

v. यदि शहरी सहकारी बैंकों ने एनएचबी/ एचयूडीसीओ द्वारा 1अप्रैल 2007 को या उसके बाद जारी किए गए बांडों में निवेश किया है, तो वह प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए उधार के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. अन्य

6.1 बैंकों द्वारा व्यक्तियों को सीधे दिए जानेवाले ऋण जो प्रति उधारकर्ता ₹ 50,000/- से अधिक न हो।

6.2 आपदा ग्रस्त व्यक्तियों (पहले ही III (1.1) (vi) के अंतर्गत शामिल किसानों को छोड़कर) को उनके गैर संस्थागत ऋणदाताओं के कर्ज की पूर्व अदायगी के लिए प्रति उधारकर्ता को दिए जाने वाले ऋण जो ₹ 50,000/- से अधिक न हो।

6.3 स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को कृषि या उससे संबंधित गतिविधियां के लिए दिए गए ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम समझा जाएगा । साथ ही स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को ₹ 50,000/- तक दिए गए अन्य ऋण को माइक्रो क्रेडिट समझा जाएगा तथा वह प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम ही समझा जाएगा।

6.4 अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को इन संगठनों के लाभार्थियों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/या उनके उत्पादनों के विपणन के विशिष्ट प्रयोजन के लिए स्वीकृत ऋण।

IV कमज़ोर वर्ग

निम्नलिखित उधारकर्ताओं को दिए जानेवाले प्राथमिताकता प्राप्त क्षेत्र ऋण कमज़ोर वर्गो की श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं :

ए) छोटे और सीमान्त किसान;

बी) ऐसे करीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा ₹ 50,000/- से अधिक न हो;

सी) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाएं;

डी) ऐसे व्यक्तियों कों शैक्षिक ऋण जिनकी आय ₹ 5000/- से अधिक नहीं है।

ई) स्वयं सहायता समूहों को ऋण;

एफ) गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसानों को ऋण;

जी) गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋण ग्रस्त किसानों को छोड़कर व्यक्तियों को अपने ऋण की पूर्व अदायगी हेतु 50,000/- तक के ऋण।

एच) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले अल्प संख्यांक समुदाय के व्यक्तियों को दिये गये ऋण।

उन राज्यों में जहां अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय अधिसूचित, वस्तुतः मेजॉरिटी में है वहां मद सं (एच) में केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक ही शामिल होंगे। ये राज्य /संघशासित क्षेत्र हैं - जम्मू और कश्मीर, पंजाब मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कारीगरों और हस्त शिल्पियों के साथ-साथ अल्प संख्यक समुदाय के सब्जी बेचनेवालों, बैलगाडी चलानेवालों, चर्मकारों आदि को ऋण की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। इस संबंध में अल्प संख्यक समुदाय में सिख, मुस्लिम,

ख्रिश्चियन, जोरोस्ट्रीयन और बुद्धिस्ट शामिल हैं। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के समग्र लक्ष्य तथा कमजोर वर्ग को 25% के उप-लक्ष्य के भीतर ऋण का न्यायोचित भाग अल्प संख्यक समुदाय को भी मिल रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरते।

V. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र - डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली

(i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सिफारिश किए गए उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कारगर उपाय करने चाहिए और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण की मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से निगरानी करनी चाहिए।

(ii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर यथोचित ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए यह वांच्छनीय है कि कार्यनिष्पादन की आवधिक जांच की जाए। इस प्रयोजन के लिए सामान्य पुनरीक्षा के अलावा जैसे कि बैंक आवधिक आधार पर कर रहें हैं, बैंकों के निदेशक मंडल द्वारा छमाही आधार पर विशिष्ट समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, बैंक उक्त अवधि के दौरान पिछली तिमाही की तुलना में घट-बढ़ दर्शाते हुए बैंक के कार्यनिष्पादन का विस्तृत लेखाजोखा अर्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष के 30 सितंबर और 31 मार्च को, (विवरण I) निदेशक मंडल को प्रस्तुत करें।

(iii) साथ ही 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के कार्यनिष्पादन की वार्षिक समीक्षा निदेशक मंडल के समक्ष (विवरण II भाग अ) अगले वित्तीय वर्ष की 15 तारीख तक प्रस्तुत करें। 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के कार्यनिष्पादन की वार्षिक समीक्षा भी निदेशक मंडल के प्रेक्षणों के साथ बैंक के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए प्रस्ताव/उपायों का उल्लेख करके 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक समीक्षा की एक प्रति (विवरण II भाग अ से उ)भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाए। रिपोर्ट संबंधित अवधि की समाप्ति से 15 दिनों के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय को पहुंच जानी चाहिए।

(iv) बैंकों को 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों को दिए गए प्रत्यक्ष वित्त और अग्रिम दर्शानेवाली स्थिति 15 दिनों के अंदर विवरण III (भाग अ तथा आ) में उनके क्षेत्र से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना चाहिए।

(v) संबंधित आंकड़ो के समेकन को सुगम बनाने के लिए बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की मदों के उल्लेख के लिए एक रजिस्टर रखें तथा दूसरे रजिस्टर में प्रत्येक कार्यकलाप के लिए एक अलग संविभाग बना कर कमजोर वर्ग के अंतर्गत दिए कुल अग्रिमों का ब्योरा दर्ज करें ताकि प्रत्येक कार्यकलाप के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमजोरवर्ग के अंतर्गत दिए गए कुल अग्रिमों की जानकारी किसी भी समय आसानी से उपलब्ध हो सके। इन रजिस्टरों का प्रोफार्मा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानेवाली वार्षिक विवरणी के अनुसार होना चाहिए।

VI. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की सभी श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करें ।

1. सेवा प्रभार

रु 25,000/- तक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों पर तदर्थ सेवा प्रभार / निरीक्षण प्रभार नहीं लगाया जाए।

2. प्राप्ति, स्वीकृति/ नामंजूर/ वितरण रजिस्टर

बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों का एक रजिस्टर/ इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड बनाया जाए जिसमें प्राप्ति की तारीख के अलावा मंजूरी/ नामंजूरी/ वितरण आदि का कारणों सहित उल्लेख किया जाए। सभी निरीक्षण कर्ता एजेन्सियों को उक्त रजिस्टर/ इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाए।

3. ऋण आवेदनों की पावती जारी करना

बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की पावती दी जाए। बैंक बोर्ड एक ऐसी समय सीमा निर्धारित करें जिसके पहले बैंक आवेदकों को अपना निर्णय लिखित रूप में सूचित करेंगे।

VII. संशोधन

ये दिशानिर्देश रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए जानेवाले अनुदेशों की शर्तों के अधीन हैं।

VIII. परिभाषाएं

छोटे और सीमांत किसान: एक हेक्टेयर भूधारक किसान सीमांत किसान माने जाते हैं। एक हेक्टेयर परंतु 2 हेक्टेयर से कम के भूधारक किसान छोटे किसान के रुप में माने जाते हैं। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रयोजन के लिए छोटे और सीमांत किसान की परिभाषा में भूमिहीन कृषि श्रमिक, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार तथा बंटाइदार शामिल हैं जिनकी भूधारिता का अंश छोटे और सीमांत किसान की ऊपर निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हैं।

अल्पसंख्यक सघन जिलों की राज्यवार सूची

(पैरा सं. IV (h) के माध्यम से)

अंदमान	**दिल्ली**
1. निकोबार	31. सेन्ट्रल
2. अंदमान	32. नॉर्थ ईस्ट
आंध्र प्रदेश	**गोवा**
3. हैदराबाद	33. साऊथ गोवा
अरुणाचलप्रदेश	**हरियाणा**
4.तवांग	34. गुडगांव
5. चांगलँग	35. सिरसा
6. तिरप	**हिमाचलप्रदेश**
7. वेस्ट कामेंग	36. लाहूल और स्पिती
8. परम परे	37. किन्नूर
9. लोअर सुबनसीरी	**जम्मू और काश्मिर**
10. ईस्ट कामेंग	38. लेह (लद्दाख)
असम	**झारखंड**
11. धुबरी	39.पाकूर
12. गोलपारा	40.साहिबगंज
13. बारपेटा	41. गुमला
14. हैतकांडी	42. रांची
15.करीमगंज	**कर्नाटक**
16.नागांव	43.दक्षिण कन्नडा
17. मारीगांव	44. बिदर
18. दारांग	45.गुलबर्गा
19. बोंगायगांव	**केरल**
20. कछार	46. मालापूरम
21.कोकराझार	47.इर्नाकुलम
22. नॉर्थ कछार हिल	48. कोट्टायम
23. कामरुप	49. इडुक्की
बिहार	50.व्यानाड
24. किसनगंज	51.पट्टनमथीट्टा
25.कठीहार	52.कोझीकोड
26. अरारीया	53.कासारगोडे
27. पूर्णिया	54.त्रिशूर
28. सीतामढी	55.कन्नूर
29. दारभंगा	56.कोल्लम

30.पश्चिम चंपारन	57. तिरुवनंतपूरम
	58.पालक्कड
	59.अलपूझा
मध्यप्रदेश	**उत्तर प्रदेश**
60. भोपाल	87. रामपूर
महाराष्ट्र	88. बिजनौर
61. अकोला	89. मोरादाबाद
62. मुंबई	90. सहारनपूर
63.औरंगाबाद	91. मुझफ्फरनगर
64.मुंबई (उपनगर)	92. मेरठ
65.अमरावती	93.बहाराइच
66.बुलढाणा	94.बलरामपूर
67.परभणी	95.गाझियाबाद
68.वाशिम	96.पीलभीत
69.हिंगोली	97.बरैली
मणिपूर	98.सिध्दार्थनगर
70. तामेंगलाँग	99.श्रावस्ती
71.उखरुल	100. जोतीबा फूले नगर
72.चूराचंद्रपूर	101. बागपत
73.चांदेल	102. बुलंदशहर
74.सेनापती	103.शहाजहानपूर
75.थाऊबल	104. बदायूं
मेघालया	105.बाराबंकी
76. वेस्ट गारो हिल्स	106. खेरी
मिझोराम	107. लखनऊ
77. लाँगतलाय	**उत्तरांचल**
78. मामीत	108. हरद्वार
ओरीसा	109. उधमसिंग नगर
79. गजपती	**वेस्ट बंगाल**
पांडेचरी	110. मुर्शिदाबाद
80. माहे	111. मालदा
राजस्थान	112. उत्तर दिनाजपूर
81. गंगानगर	113. बिरभूम
सिक्कीम	114. साऊथ 24 - परगना
82. नॉर्थ	115. नादीया
83. साऊथ	116. दक्षिण दिनाजपूर
84. ईस्ट	117. हावडा
85. वेस्ट	118. नॉर्थ 24 - परगना
तामीळनाडू	119. कूच बिहार

86. कन्याकुमारी	120. कोलकाता
	121. बर्धमान

विवरण - I

बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाने वाला ज्ञापन

....

विवरण - II

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और कमज़ोर वर्ग के लिए उधार से संबंधित वार्षिक विवरण का परफार्मा

....

विवरण - III

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत अल्प संख्यकों से संबंधित क्रेडिट फ्लो का परफार्मा

विवरण - I

बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जानेवाला ज्ञापन

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम - अर्द्धवार्षिक समीक्षा – 31 मार्च/30 जून .... की स्थिति

I	1.	**बैंक का नाम**			
	2.	राज्य			
	3.	स्थान			
	4.	शाखाओं की संख्या			
			(राशि हजार रुपये में)		
II		विवरण	**----- को समाप्त पिछले वर्ष की छमाही**	**----- को समाप्त पूर्व वर्ष की छमाही**	**चालू वर्ष की ----- को समाप्त छमाही**
	1.	कुल जमाराशियां			
	2.	कुल उधार			
	3.	कुल ऋण और अग्रिम			
	4.	गैर एसएलआर बांडों में निवेश			
	5.	समायोजित बैंक ऋण (एबीसी) अर्थात मद सं. 3 और 4			
	6.	तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के सममूल्य ऋण राशि			
	7.	मद सं.3 का मद सं.1 से प्रतिशत ऋण जमाराशि का अनुपात			
III.	1.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कुल ऋण और अग्रिम			
	2.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्ग को कुल ऋण और अग्रिम			
	3.	ऊपर मद (III के 1) का मद (II के 5 या 6 जो भी उच्चतम हो) में प्रतिशत			
	4	उपर्युक्त मद सं. III कें 2 का मद सं. III के 1 के साथ प्रतिशत			
	5.	बैंक की कुल अतिदेय राशि *			
	6.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अतिदेय राशि*			
	7.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्ग के अंतर्गत अतिदेय राशि *			

IV	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण और अग्रिमों का क्षेत्रवार ब्रेक-अप				
	1.	कृषि एवं कृषि सहायक कार्यकलापों के लिए अग्रिम			
	2.	व्यष्टि एवं लघु उद्यम			
	3.	व्यष्टि ऋण			
	4.	अजा /अजजा के लिए राज्य द्वारा प्रवर्तित संस्था			
	5.	शैक्षणिक ऋण			
	6.	आवास ऋण			
	7.	कमजोर वर्ग			
	8.	**कुल**			
V	1.	जहां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र /कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया, उसके कारण			
	2.	किसी एक उप समूह विशेष को अधिकतम दिए गए ऋण और अग्रिम, उसके कारण			
	3.	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र /कमजोर वर्ग के अंतर्गत कार्य-निष्पादन में सुधार के सुझाव			
	4.	निदेशक मंडल के विचार तथा कार्य-निष्पादन में सुधार और उसके कार्यान्वयन के लिए निर्णीत कार्रवाई			

* कृपया कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाएं

तारीख:

म.प्र./मु.का.अ.

विवरण **II**

भाग **‘ए’**

31 मार्च ________ की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

बैंक का नाम:	
(अ) समायोजित बैंक ऋण (एएनबीएसी)	रु. लाख
(आ) (क) कुल तुलनपत्रेतर ऋण (ओबीइ)	रु. लाख
(ख) ओबीइ के समतूल्य ऋण राशि	रु. लाख
(इ) कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का उधार	रु. लाख
(ई) कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार का समायोजित बैंक ऋण (अआइ) या ओबाइ के समतूल्य ऋण राशि के रूप में प्रतिशत जो भी अधिक हो	रु. लाख
(उ) कमजोर वर्ग को कुल प्राथमिकताप्राप्त उधार का समायोजित बैंक ऋण (अआइ) या ओबीइ के समतूल्य ऋण राशि के रूप मे प्रतिशत जो भी अधिक हो	रु. लाख

			(वास्तविक खाता तथा राशि लाख रुपये में)							
			कुल खातो की संख्या	कुल बकाया राशि	जिसमें से अनु जाति		जिसमें से अनु जन जाति		जिसमें से अल्पसंख्यक	
					खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम										
1	**कुल कृषि ऋण** (क+ख)									
	(क)	प्रत्यक्ष								
	(ख)	अप्रत्यक्ष								
	कृषि को प्रदान की गयी कुल अग्रिम राशि में से									
	(i)	किसानों को फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण								
	(ii)	कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण								

	(iii)	किसानों को फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किए गए अपने कार्यकलापों के लिए ऋण								
	(iv)	किसानों को 12 माह की अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी / दृष्टिबंधक रखकर ₹50 लाख तक के अग्रिम, चाहे किसानों को फसल उगाने के लिए फसल ऋण								
	(v)	कारपोरेट, भागीदारी पेढ़ी तथा संस्थाओ को अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए किसानों को निर्यात ऋण								
	(vi)	छोटे एवं सीमांत कृषकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत विशेष रूप से स्थापित की गई उत्पादक कंपनियों के लिए कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु ₹5 करोड़ तक के ऋण								
	(vii)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के मास्टर परिपत्र के मद सं 1.2.2 में परिभाषित अन्य अप्रत्यक्ष कृषि ऋण								
2	**लघु उद्यमी को कुल ऋण** (निर्माण तथा सेवा उद्यमों सहित) (क+ख)									
	(क)	प्रत्यक्ष								
	(ख)	अप्रत्यक्ष								
	जिसमे सें लघु उद्यगों को अग्रिम राशि प्रदान की गयी									
	(i)	निर्माण उद्यम (क+ख)								
		(क) पी एण्ड एम में रु. 25 लाख तक के निवेशवाले उद्यमी								
		(ख) पी एण्ड एम मे रु.25 लाख से रु. 5 करोड तक के निवेशवाले उद्यमी								
	(ii)	सेवा उद्यमी (क+ख)								
		(क) उपकरणो में रु.2 लाख तक का निवेश वाले उद्यमी								

		(ख) उपकरणों में रु 2 लाख से रु.10 लाख तक का निवेश वाले उद्यमी								
	(iii)	खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की इकाइयों (KVI) के लिए प्रदान अग्रिम								
3	**व्यष्टि ऋण** (मास्टर परिपत्र के मद सं 4 में परिभाषित)									
4	**अजा / अजता के लिए राज्य द्वारा प्रयोजित संस्था**									
5	**शैक्षणिक ऋण**									
6	**आवास ऋण**									
7	**कुल कमजोर वर्ग**									
	कमजोर वर्ग के कुल अग्रिम में से महिलाओकों को दिया गया वित्त									
8	**कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम** (1 से 7)									

संवितरण की परिभाषा निम्नानुसार है:

(i) नकदी ऋण/ ओवरड्राफ्ट खाता और इसी स्वरूप के परिचालनरत खाते: निश्चित विचाराधीन अवधि के तहत कुल नामे(डेबिट सम्मेशन) से ब्याज व अन्य प्रभारों को घटाकर राशि या मंज़ूर की गई सीमा, इन दोनों में से जो भी निम्नतर हो।

(ii) मीयादी ऋण : निश्चित विचाराधीन अविध के तहत कुल नामे माइनेस(-) ब्याज व अन्य प्रभारें।

विवरण II

भाग 'बी'

31 मार्च ________ की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

बैंक का नाम:

(वास्तविक खाता तथा राशि लाख रुपये में)

राज्य / संघ शासित प्रदेश	खातो की कुल संख्या	कुल बकाया राशि	जिसमें से अनु. जाति		जिसमें से अनु. जनजाति		जिसमें से अल्पसंख्यक	
			खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
असम								
मेघालय								
मिजोरम								
बिहार								
झारखंड								
अरुणाचल प्रदेश								
पश्चिम बंगाल								
नागालैण्ड								
मणिपुर								
उडीसा								
सिक्किम								
त्रिपुरा								
अंदमान तथा निकोबार								
उत्तर प्रदेश								
उत्तराखंड								
दिल्ली								

पंजाब								
हरियाणा								
चंडीगढ								
जम्मू और कश्मीर								
हिमाचल प्रदेश								
राजस्थान								
गुजरात								
महाराष्ट्र								
दमन और दिव								
गोवा								
दादरा और नगर हवेली								
मध्य प्रदेश								
छत्तीसगढ								
आंध्रप्रदेश								
कर्नाटक								
लक्षद्वीप								
तामिलनाडु								
केरल								
पुदुचेरी								
अखिल भारतीय								

विवरण **II**

भाग **'सी'**

वर्ष के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के अंतर्गत कमजोर वर्गों को दिया गये गए अग्रिमो की 31 मार्च ________ की स्थिति

बैंक का नाम:

(वास्तविक खाते, राशि लाख रु. में)

राज्य / संघ शासित प्रदेश	खातो की कुल संख्या	कुल बकाया राशि	जिसमें से अनु. जाति		जिसमें से अनु. जनजाति		जिसमें से अल्पसंख्यक	
			खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
असम								
मेघालय								
मिजोरम								
बिहार								
झारखंड								
अरुणाचल प्रदेश								
पश्चिम बंगाल								
नागालैण्ड								
मणिपुर								
उडीसा								
सिक्किम								
त्रिपुरा								
अंदमान तथा निकोबार								
उत्तर प्रदेश								
उत्तराखंड								
दिल्ली								
पंजाब								

हरियाणा								
चंडीगढ								
जम्मू और कश्मीर								
हिमाचल प्रदेश								
राजस्थान								
गुजरात								
महाराष्ट्र								
दमन और दिव								
गोवा								
दादरा और नगर हवेली								
मध्य प्रदेश								
छत्तीसगढ								
आंध्रप्रदेश								
कर्नाटक								
लक्षद्वीप								
तामिलनाडु								
केरल								
पुदुचेरी								
अखिल भारतीय								

विवरण II

भाग **'डी'**

निर्धारित अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम की तुलना में समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम दर्शानेवाला विवरण 31 **मार्च ________की स्थिति**

बैंक का नाम:

भाग बी **- सभी जिलों के लिए**

(वास्तविक खाते, राशि लाख रु. में)

अ. सं	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	इसाई		मुस्लिम		बौध्द		सिख		जोरोस्ट्रियन		कुल (1+2+3+4+5) 'ए'		अन्य अल्पसंख्यक 'बी'		सभी जिलोंमें कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम 'सी' ('ए' +'बी')	
		1		2		3		4		5		6		7		8	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	हरियाणा																
2	हिमाचल प्रदेश																
3	जम्मू और कश्मीर																
4	पंजाब																
5	राजस्थान																
6	चंडीगढ																
7	दिल्ली																
8	असम																
9	मणिपुर																
10	मेघालय																
11	नागालैण्ड																

12	त्रिपुरा																
13	अरुणाचल प्रदेश																
14	मिजोरम																
15	सिक्किम																
16	बिहार																
17	उडीसा																
18	पश्चिम बंगाल																
19	अंदमान और निकोबार द्वीप																
20	मध्य प्रदेश																
21	उत्तर प्रदेश																
22	गुजरात																
23	महाराष्ट्र																
24	गोवा																
25	दमण और दिव																
26	दादरा और नगर हवेली																
27	आंध्र प्रदेश																
28	कर्नाटक																
29	केरल																
30	तामिलनाडू																
31	पुदुचेरी																
32	लक्षद्वीप																
	अखिल भारतीय																

विवरण **II**

भाग **'इ'**

निर्धारित अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम की तुलना में समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम दर्शानेवाला विवरण 31 मार्च ________की स्थिति

बैंक का नाम:

भाग ए **- चयनित** जिलों के लिए

(वास्तविक खाते, राशि लाख रु. में)

अ. सं.	राज्य/ संघ शासित प्रदेश अनुसार जिले	इसाई		मुस्लिम		बौध्द		सिख		जोरोस्ट्रियन		कुल (1+2+3+4+5) 'ए'		अन्य अल्पसंख्यक 'बी'		चयनित जिलोंमें कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम 'सी' ('ए' +'बी')	
		1		2		3		4		5		6		7		8	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
अंदमान																	
	निकोबार																
	अंदमान																
आंध्र प्रदेश																	
	हैदराबाद																
	अरुणाचल प्रदेश																
	तवांग																
	चांगलेंग																
	तिराप																
	वेस्ट कामेंग																
	परमपरे																
	लोअर सुबनसिरी																
	ईस्ट कामेंग																

असम																	
	दुबरी																
	गोलपारा																
	बारपेटा																
	हैतकांडी																
	करीमगंज																
	नागाव																
	मारीगाव																
	दारांग																
	बोंगायगाव																
	काचेर																
	कोकराझार																
	नॉर्थ काचर हील																
	कामरुप																
बिहार																	
	किशनगंज																
	कटिहार																
	अररिया																
	पूर्णिया																
	सितामढी																
	दरभंगा																
	पश्चिम चंपारन																
दिल्ली																	
	सेन्ट्रल																
	नॉर्थ ईस्ट																
	गोवा																
	साउथ गोवा																
हरियाणा																	
	गुडगांव																
	सिरसा																

हिमाचल प्रदेश																	
	लाहूल और स्पिती																
	किन्नौर																
जम्मू और कश्मीर																	
	लेह (लद्दाक)																
झारखंड																	
	पाकूर																
	साहिब गंज																
	गुमला																
	रांची																
कर्नाटक																	
	दक्षिण कन्नडा																
	बीदर																
	गुलबर्गा																
केरल																	
	मल्लापूरम																
	इर्नाकुलम																
	कोट्याम																
	इडूक्की																
	व्यानाड																
	पथनमथिट्टा																
	कोझीकोड																
	कासारगॉड																
	थ्रिशूर																
	कन्नूर																
	कोल्लम																
	तिरुवनंतपुरम																
	पालक्कड																
	अलपूझा																

मध्य प्रदेश																	
	भोपाल																
महाराष्ट्र																	
	अकोला																
	मुंबई उपनगर																
	औरंगाबाद																
	मुंबई (उपनगर)																
	अमरावती																
	बुलढाना																
	परभणी																
	वासीम																
	हिंगोली																
मणिपुर																	
	तामेंगलाँग																
	उखरुल																
	चूराचंदपुर																
	चांदेल																
	सेनापति																
	थाऊबल																
मेघालय																	
	वेस्ट गारो हिल																
मिजोरम																	
	लाँगल्टाय																
	मामीत																
ओरीसा																	
	गजपति																
पुदुचेरी																	
	माहे																
राजस्थान																	
	गंगानगर																

सिक्किम																	
	नॉर्थ																
	साऊथ																
	ईस्ट																
	वेस्ट																
तामिलनाडु																	
	कन्याकुमारी																
उत्तरप्रदेश																	
	रामपुर																
	बिजनोर																
	मुरादाबाद																
	सहारनपुर																
	मुजफ्फरनगर																
	मेरठ																
	बहराइच																
	बलरामपुर																
	गाजियाबाद																
	पीलीभीत																
	बरेली																
	सिध्दार्थ नगर																
	श्रावस्ती																
	जोतीबा फूले नगर																
	बागपत																
	बुलंदशहर																
	शहाजहापुर																
	बदायूं																
	बाराबंकी																
	खीरी																
	लखनऊ																

उत्तरांचल																	
	हरिद्वार																
	ऊधमसिंग नगर																
पश्चिम बंगाल																	
	मुर्शिदाबाद																
	मालदा																
	उत्तर दिनाजपुर																
	बिरभूम																
	साउथ 24 परगना																
	नादिया																
	दक्षिण दिनाजपुर																
	हावड़ा																
	नॉर्थ 24 परगना																
	कूच बिहार																
	कोलकाता																
	वर्धमान																

विवरण **III**

भाग ए

31 मार्च _______ की स्थिति के अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए ऋण और अग्रिम (प्रत्यक्ष वित्त)

बैंक का नाम:

1. अल्पावधि ऋण

(वास्तविक खाता तथा राशि लाख रुपये में)

राज्य / संघ शासित प्रदेश	**2.5** एकड़ तक				**>2.5** एकड़ तथा **5** एकड तक				**> 5** एकड़			
	वर्ष के दौरान संवितरण		बकाया शेष		वर्ष के दौरान संवितरण		बकाया शेष		वर्ष के दौरान संवितरण		बकाया शेष	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
दिल्ली												
पंजाब												
हरियाणा												
चंडीगढ												
जम्मू और कश्मीर												
हिमाचल प्रदेश												
राजस्थान												
असम												
मिजोरम												
मेघालय												
अरुणाचलप्रदेश												
नागालैंड												
मणिपुर												
सिक्किम												
त्रिपुरा												

बिहार												
पश्चिम बंगाल												
उडीसा												
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह												
उत्तर प्रदेश												
मध्यप्रदेश												
गुजरात												
महाराष्ट्र												
गोवा, दमन और दिव												
दादरा और नगर हवेली												
आंध्र प्रदेश												
कर्नाटक												
लक्षद्वीप												
तामिलनाडु												
केरल												
पुदुचेरी												
अखिल भारतीय												

विवरण **III**

भाग **बी**

कृषि अग्रिम की वसूली (प्रत्यक्ष वित्त) 31 मार्च ________ की स्थिति

बैंक का नाम:

1. अल्पावधि ऋण **(फसल ऋण सहित)**

(राशि हजार रू. में)

राज्य / संघ शासित प्रदेश का नाम		बकाया शेष	कुल मांग	वसूली	कुल	अतिदेय				मांग की तुलना मे वसूली का प्रतिशत
						एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक	दो वर्षो से अधिक	तीन वर्षो से अधिक	
		1	2	3	4	**5**	**6**	**7**	**8**	9
I	**उत्तरी क्षेत्र**									
	हरियाना									
	हिमाचल प्रदेश									
	जम्मू और कश्मीर									
	पंजाब									
	राजस्थान									
	चंडीगढ									
	दिल्ली									
II	**उत्तर पूर्वी क्षेत्र**									
	असम									
	मणिपुर									
	मेघालय									
	नागालैंड									
	त्रिपुरा									
	अरुणाचल प्रदेश									
	मिजोराम									

	सिक्किम									
III	**पूर्वी क्षेत्र**									
	बिहार									
	उडीसा									
	पश्चिम बंगाल									
	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह									
IV	**मध्य क्षेत्र**									
	मध्य प्रदेश									
	उत्तर प्रदेश									
V	**पश्चिमी क्षेत्र**									
	गुजरात									
	महाराष्ट्र									
	गोवा, दमण और दिऊ									
	दादरा और नगर हवेली									
VI	**दक्षिण क्षेत्र**									
	आंध्र प्रदेश									
	कर्नाटक									
	तामिलनाडु									
	केरल									
	पुदुचेरी									
	लक्षद्वीप									
	अखिल भारतीय									

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय वस्तु
1	शबैंवि.कैंका.बीपीडी (पीसीबी) परि.13/09.22.010/2013-14	10.09.13	आवास योजनाओं के लिए वित्त - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक – मरम्मत/ परिवर्धन/ फेरबदल के लिए ऋण – सीमाओं को बढ़ाना
2	शबैंवि.कैंका.बीपीडी (पीसीबी) परि.5/13.01.000/2013-14	27.08.13	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 18 और 24 – एफसीएनआर (बी) / एनआरई जमाराशियां – सीआरआर/ एसएलआर बनाए रखने से छूट तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को प्रदान किए गए ऋण को एबीसी में शामिल न करना
3	शबैंवि.कैंका.बीपीडी (पीसीबी) परि.33/09.09.001/2011-12	18.05.12	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण – आवास क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त
4	शबैंवि.कैंका.बीपीडी (पीसीबी) परि.50/13.05.000(बी)/2010-11	02.06.11	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह को वित्त
5	शबैंवि.कैंका.बीपीडी (पीसीबी) परि.70/09.09.01/2009-10	15.06.10	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को निर्यात और निर्यात क्रेडिट देने वाले माइक्रो और लघु उद्यमों को अग्रिम - शहरी सहकारी बैंक
6	शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि.50/09.09.01/2009-10	25.03.10	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार -एमएसएमइडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत सेवा की गतिविधियों का वर्गीकरण
7	शबैंवि (पीसीबी) परि.26/09.09.01/2007-08	30.11.07	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य में संशोधन
8	शबैंवि (पीसीबी) परि.11/09.09.01/2007-08	30.08.07	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर संशोधित दिशा निर्देश
9	शबैंवि (पीसीबी) परि.11/09.09.01/2007-08	30.08.07	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम-अल्पसंख्यक सघन जिलों की सूची

अन्य परिपत्रों से लिए गए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से संबंधित अनुदेशों को समेकित करते हुए मास्टर परिपत्र में दिए गए हैं, जिनकी सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय वस्तु
1	ग्राआऋवि.कैंका.प्लान.बीसी.72/04.09.01/2012-13	03.05.13	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार-लक्ष्य और वर्गीकरण – सीमाओं में संशोधन
2	ग्राआऋवि.कैंका.एमएसएमइ एण्ड एनएफएस.बीसी.सं.54 / 06.02.31 /2012-13	31.12.12	40:20 के अनुपात में माइक्रो उद्यमों को उधार हेतु संयत्र और मशीन / उपस्कर में वर्तमान निवेश सीमाओं का संशोधन
3	ग्राआऋवि.कैंका.प्लान.बीसी.37/04.09.01/2012-13	17.10.2012	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण
4	ग्राआऋवि.कैंका.प्लान.बीसी.13/04.09.01/2012-13	20.07.12	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण

------------x-----------